ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही।

विविध वाद संख्या 12/ 15/16

अनुज कुमार —बनाम— सरयु साव वगै0

तारिख	—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :—	अभियुक्ति

आवेदक अनुज कुमार पिता श्री जगदीश साव, ग्राम शिवपुर, (गडलाही), थाना बरही, जिला हजारीबाग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन समर्पित किया है कि मौजा बसरिया थाना बरही थाना नं0 128, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0 6 प्लॉट नं0 4 रकबा 1.87 ए0 प्लॉट नं0 6 रकबा 0.64 ए0 प्लॉट नं0 55, रकबा 1.07 ए0 प्लॉट नं0 122, रकबा 2.12 ए0 रकबा 0.89 ए0 का अवैध विक्री विपक्षीगण सरयु साव वगै0 ग्राम लंगुरा, बसरिया, थाना बरही जिला हजारीबाग द्वारा किये जाने एवं वर्तमान स्थिति से अवगत होने हेतु अंचल अधिकारी, बरही से जांच प्रतिवेदन की मांग का अनुरोध किया है। आवेदक के आवेदन एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुना तदोपरान्त नोटिस निर्गत कर पक्षकारों को अपना—अपना लिखित तहरीर एवं अंचल अधिकारी, बरही से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

प्रथम पक्ष का कहना है कि मौजा बसरिया, थाना बरही, थाना नं0 128, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 06, प्लॉट नं0 04, 06, 55, 122,124, 157 एवं ...., क्रमशः रकबा 1.87 ए0, 0.64 ए0, 1.07 ए0 0.97 ए0, 0.87 ए0 2.12 ए0 एवं 0.89 ए0 भूमि सर्वे खतियान में अन्तु तेली वो गोन्दु तेली के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत अन्तु तेली अपने मरनोपरान्त पांच पुत्र पति साव, रती साव, भतु साव, धनी तेली, मनी तेली को छोड़ गये। इनका यह भी कहना है कि यह भूमि सम्मिलात है एवं आवेदक के हिस्से की भूमि विपक्षीगण अवैध तरीके से विक्री करना चाह रहे है। अतः भूमि की विक्री पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के पक्षकार एवं उनके अधिवक्ता के द्वारा लिखित जवाब दिया गया है कि प्रथम पक्ष लगभग सभी तिथियों में अनुपस्थित रहे है। वाद दायर करने के पश्चात अपना पक्ष नहीं रखा गया साथ ही लम्बे समय से वाद में अनुपस्थित चले आ रहें है इस प्रकार केवल समय बर्बाद किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष अपना पक्ष रखते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम पक्ष आवेदन दायर करने के पश्चात अधिकांश तिथियों में अनुपस्थित रहे हैं तथा अपना पक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखने में असफल रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक अथवा इनके अधिवक्ता का इस वाद में कोई रूची नहीं है।

अतएव उपरोक्त परिपेक्ष के आलोक में इस वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, बरकट्ठा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

27/08/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

27/08/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग